क्रमांक 4112275 / विभागीय बेवसाइट / छ.ग. / 2019 /

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ-भवन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /07/ 2019

प्रति,

1. मुख्य अभियंता (प्रबोधन)
2. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
3. अधीक्षण अभियंता (बोधी)
4. जन सूचना अधिकारी सूचना प्रकोष्ठ

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 में उल्लेखित बिन्दुओं को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट कराने के संबंधम में।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2180 / 1596 / 31 / स्था. / 2019 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 16 / 07 / 2019

——00——

विषयांतर्गत शासन से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। आपके अधीनस्थ समस्त कक्षों / पटल की जानकारी वेबसाईट www.cgwrd.in में एवं R.T.I. से संबंधित जानकारी वेबसाईट www.cgwrd.in/ organisation/rti.html में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

सही/–

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / विभागीय बेवसाइट / छ.ग. / 2019 / 9484 रायपुर, दिनांक 26 / 07 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

2. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार। (स.क्र. 2 हेतु)

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर

25/07/19

छत्तीसगढ शासन
जल संसाधन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

(फोन नं. 0771–2510838 फैक्स नं.: 0771–2510839,ई–मेल:secy-wrd-cg@gov.in)

क्रमांक 2180 / 1596 / 31 / स्था. / 2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक : 16/07/2019

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर -19,
नवा रायपुर (छ0ग0)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 मे उल्लेखित बिन्दुओं को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट कराने के संबंध में ।

संदर्भः– छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 7–139 / 2019 / 1–13 दिनांक 14.06.2019

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं ।

2/– विषयांतर्गत प्रकरण आवेदक श्री देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन मे उल्लेखित बिन्दुओं संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाईड में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार

16/7/19
(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर,
नवा रायपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
16 JUL
कक्ष S.E.C.A.
16/7

1038
18/7/19

Put up with Website file
18/7/19

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर
---00---

सूचना का अधिकार

एफ 7–139/2019/1–13 अटल नगर, दिनांक 14 जून, 201

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 में उल्लेखित बिन्दुओं को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट कराने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है, कि आवेदक श्री देवेन्द्र अग्रवाल के द्वारा प्रथम अपी प्रकरण की सुनवाई में प्रस्तुत अभ्यावेदन की छायाप्रति संलग्न कर लेख है, कि अभ्यावेदन में उल्लेखि बिन्दुओं की जानकारी अपने विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(मुकुन्द गजभिये)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ 7–139/2019/1–13 अटल नगर, दिनांक जून, 2019

प्रतिलिपि :–

श्री देवेन्द्र अग्रवाल, आ. संतोष अग्रवाल, 207, एच.आर.टावन, रायपुरा चौक, अगोहा कॉलोनी, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

सुनवाई के अभाव मौलिक अधिकारों के समर्थन में प्रस्तुत

प्रति,

स्वास्थ्य सचिव,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग,

महानदी भवन, अटल नगर (छ.ग.)

संदर्भ :– स्वास्थ्य विभाग के सभी राज्यस्तरीय शीर्षस्थ 8 प्राधिकरणों सहित सभी 27 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में किये सर्वे से संबंधित।

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के बाध्यकारी नियमों का पालन एवं उक्त प्रतिपालन के महत्ता की स्पष्टता बाबत ज्ञापन ।

माननीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत यह तथ्य जानना आवश्यक है कि हमारे देश का संविधान नागरिकों को बेहतर जीवन जीने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जिस हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 का अधिकार भी प्राप्त है। किन्तु संदर्भित किये गये सर्वेक्षण व प्रयास से यह स्पष्ट हो चुका है कि राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था में इस बाध्यकारी नियम का अंशतः भी पालन नहीं हो रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। जिस संबंध में स्वास्थ्य क्षेत्र के शासकीय प्राधिकरणों में अपेक्षानुसार क्रियान्वित होने के निम्न उद्देश्यों पर विचार करें:–

1. यह कि धारा–4 की उपधारा 1(क) में

- **maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated**

"संधारित किये जाने वाले सभी अभिलेखों को तालिकाबद्ध एवं अनुक्रमणिकाबद्ध रखा जाना निर्दिष्ट है यथा संभव उक्त अभिलेखों को विषयाधीन उपलब्ध संसाधनों व निर्दिष्ट समयानुसार कम्प्यूटरीकृत रूप में देश के नेटवर्क में विभिन्न माद्धयम से जोड़ा जाना जिससे अभिलेख सुविधाजनक पहुंच में हो" भी उल्लेखित है। जिसके अनुपालन से निश्चित ही अभिलेखों की प्रमाणिकता एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी यदि संबंधित बनायी तालिका/सूची ही अनुक्रमणिका के आधार पर प्रदर्श हो जाये तो वांछित दस्तावेजों तक पहुंच शासकीय अधिकारी के लिए भी बेहद सरल हो जायेगा।

2. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के प्रथम कंडिका में

the particulars of its organisation, functions and duties

"संगठन के कृत्य एवं कर्त्तयों का विवरण" प्रकट किया जाना उल्लेखित है जो संचिवालय/ मंत्रालय सहित उसके अधीन कार्यरत सभी प्राधिकरणों के कार्यों व कर्तव्यों को स्पष्ट कर वह जवाबदेह बनायेगा, जिससे आम नागरिकों को विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों में भटकना नहीं पड़ेगा और वह निर्दिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित करने हेतु स्पष्ट रहेंगे।

3. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के दूसरे कंडिका में

the powers and duties of its officers and employees

"अधिकारियों और कर्मचारियों कि शक्तियां एवं कर्तव्य" प्रकट किया जाना उल्लेखित है जिसके बिना कदापि किसी संस्थान व अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती, जिन कारणों से ही अकारण शासकीय कार्यों में देरी होती है एवं कार्यप्रणाली में अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा का अभाव रहता है चूंकि हर व्यक्ति स्वेदनशील कार्यों के विनिश्चयों को एक दूसरे पर टालते रहते हैं। जिन कारणों से प्रभावित नागरिकों को धन, समय एवं मानसिक पीड़ा पहुंचती है।

4. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के तीसरे कंडिका में

the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability

"पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के साथ विनिश्चय करने की प्रक्रिया" का प्रकट किया जाना अपेक्षित है जो स्पष्टतः उस स्टैण्डर्ड प्रोटोकाल अथवा कार्यपद्धति को निरूपित करता है जिससे कार्य के निष्पादन/पूर्णतः हेतु निर्दिष्ट पर्यवेक्षक और जवाबदेह प्रतिनिधी के अधीन व स्वीकृति से प्रक्रियाओं का पालन हो सकें। जिन कारणों के अभाव में कई प्रोजेक्ट/योजनायें वर्षों तक लंबित भी रहती है एवं सफल योजनायें भी

असफल हो जाती है। जो निश्चित ही राज्य को होने वाली क्षति से बचाकर लाभान्वित करेगा।

5. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के चौथे कण्डिका में

the norms set by it for the discharge of its functions

"प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान" का प्रकटन करें उल्लेखित है, जो निश्चित ही उपरोक्तानुसार कणिकाओं के निर्वहन हेतु भी आवश्यक है, जिस हेतु शीर्षस्थ संस्थानों द्वारा जारी पद्धति व दिशानिर्देश के अलावा समयानुसार आयोजित बैठक/मिटिंग इत्यादि पद्धति से कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिये जो मापमान बनाये उसे प्रकट करने से अधिनस्थ कर्मचारियों सहित नागरिकों में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बढ़ेगी।

6. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के पांचवे कणिका में

the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions

"प्राधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के नियंत्रण के लिये उपयोग अथवा धारित किये नियम, अधिसूचना, निर्देशिका और अभिलेख" का प्रकटन करना उल्लेखित है जो स्पष्ट तौर पर उन सभी नियमों को प्रकट करने से अपेक्षित है जिसके अंतर्गत कृत्यों का नियंत्रण के साथ निर्वहन नियमों के अधीन संभव हो ताकि अकारण नागरिकों में भ्रम व संदेह कि स्थिति निर्मित ना हो सकें।

7. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के छठवे कणिका में

a statement of the categories of documents that are held by it or under its control

"ऐसे दस्तावेजों के प्रवर्गों का ब्यौरा जो प्राधिकारी के द्वारा धारित एवं नियंत्रणाधीन है" के प्रकट करने का उल्लेख है जो निश्चित ही प्राधिकरण के सभी प्रभारी द्वारा धारित किये अभिलेखों की पारदर्शिता लायेगा जिसमें अभिलेखों के ना मिलने व नष्ट होने की आशंकाओं को निष्क्रीय करेगा, जिससे जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

8. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के सातवें कणिका में

the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof

"योजना अथवा उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये जनता के सदस्यों से किसी व्यवस्थागत ब्यौरे हेतु परामर्श अथवा अभ्यावेदन लेने के संबंध में पद्धति हो" तो प्रकट

किया जाना उल्लेखित है जिसके प्रभावी तौर पर अपनाये जाने से योजनाओं के प्रति जनता की सकारात्मकता बढ़ती है एवं खामियों का निराकरण प्रभावी तौर पर संभव हो पाता है।

9. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के आठवें कणिका में

a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public

"दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा गठित निकाय, परिषद, कमेटी जो परामर्श/सलाह देने हेतु बनी हो, जनता के लिए निकाय, परिषद, कमेटी की यह बैठके खुली होगी अथवा बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध होंगे" का प्रकटन करना अपेक्षित है, ताकि कार्य पद्धति की पारदर्शिता में वृद्धि हो जिस पर नागरिकों का विश्वास बना रहे।

10. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के नवमें कणिका में

a directory of its officers and employees

"अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी" के प्रकटन का उल्लेख है जिसके अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी के नाम, पदनाम व संम्पर्क साधन (फोन/मोबाईल, ईमेल, पता, इत्यादि) का प्रकटन करना है जिसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव संबंधित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से समन्वयन बनाने को निर्दिष्ट करता है साथ ही प्राधिकरण को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। जिसका सीधा लाभ दूरस्थ बैठे जरूरतमंद/प्रभावित नागरिकों को मिल सकतों है जो प्राधिकरण नियमित अथवा निर्धारित अवधि में नहीं पहुंच पाते हैं, तद्नुसार इसे डिजिटल क्रांति के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।

11. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के के दसवें कणिका में

the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations

"प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक महिने लिया गया पारिश्रमिक जो नियमों के अधिन सभी प्रतिकर व छूट के साथ हो" के प्रकटन का उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासकीय रकमों के किये आहरणों की पारदर्शिता से नागरिकों के निगरानी में लाया जाना है जिससे निश्चित ही

लापरवाहियों पर अधिक अंकुश लगाना संभव होगा यदि यह जानकारी उपस्थित विवरणों सहित हो।

12. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के ग्यारहवें कणिका में

the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made

"योजनाओं के ब्यौरे दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, प्रस्तावित व्ययों एवं संवितरणों के बनाये सभी रिपोर्टों" के प्रकटन करने का उल्लेख किया गया है, जिससे निश्चित ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव होगा।

13. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के बारहवें कणिका में

the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

"अनुदान / सहायता वाली योजनाओं कि रीति जिसमें हितग्राहियों / फायदाग्राहियो के ब्यौरे सहित उसे आबंटित राशि" का प्रकटन किया जाना उल्लेखित है जो निश्चित ही शासन से अनुदान / सहायता के नाम पर आधारित अथवा व्यय की जा रही राशियों और उसके लाभान्वित व्यक्तियों के प्रमाणिक उपयोग में पारदर्शिता बढ़ायेगी जिसे वास्तविक जरूरतमंद तक निष्पक्षता के साथ नियमानुसार चरणबद्ध लाभ पहुचा है नागरिकों के निगरानी में रहेगा।

14. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के तेरहवें कणिका में

particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it

"प्राप्किर्ताओं के ब्यौरे जो रियायतों, अनुज्ञापत्र / लायसेंस अथवा अधिकृतता दिये जाने के द्वारा प्राप्त हो" का प्रकटन किया जाना अपेक्षित है जिससे यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा नियेाजित अथवा गैर नियोजित कार्यो से प्राप्तियों एवं प्राप्तकर्ताओं के विवरण सहित प्रकटन निश्चित किया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्रों एवं दिये जाने वाली रियायतों के लिये वसूले जाने वाले अनाधिकृत रकमों की मांग पर लगाम लगायेगा।

15. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के चौदहवें कणिका में

details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form

"प्राधिकारी द्वारा या उसके पास उपलब्ध सूचना से संबंधित विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो" का प्रकटन किया जाना उल्लेखित करती है, जो कि अधिनियम की धारा 2(च) 'सूचना' की परिभाषा से स्पष्ट है अर्थात सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के प्रकटीकरण किया जाना स्पष्ट होता है जिसके उचित स्वरूप में संबद्ध किये जाने से अधिनस्थ कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिये बेहद उपयोगी साबित होगी।

16. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के पन्द्रहवें कणिका में

the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use

"यदि जनता के प्रयोग के लिए प्रबंधन किया गया हो जिसमें निर्दिष्ट कार्यलयीन समय में नागरिक को वांछित सूचना किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष में उपलब्ध हो, के सुविधा का विवरण" प्रकटन करना उल्लेखित है जो उपरोक्त कंडिका 15 के अनुसार ही दस्तावेजी रूप में संधारित 'सूचना' को नागरिकों के पहुंच में लाना ही व्यक्त करता है ताकि नागरिकों को सूचना हेतु अनावश्यक कारणों से व्यथित ना होना पड़े।

17. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के सोलहवें कणिका में

the names, designations and other particulars of the Public Information Officers

"लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य आवश्यक विवरण" के प्रकटन का उल्लेख है ताकि नागरिक वांछित सूचना जिसका उपरोक्त सभी प्रकटन से प्राप्त ना हो पाये नियमानुसार प्राप्त कर सकें।

18. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(ख) के सत्रहवें कणिका में

such other information as may be prescribed and thereafter update these publications every year

"ऐसी सूचनाएं, जो विहित संबंध में प्राप्त हो अद्यतन करेगा तत्पश्चात उसे प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करेगा" का उल्लेख किया गया है जो निश्चित रूप से उपरोक्त सभी सूचनाओं एवं इसके अतिरिक्त प्राप्त संबंधित सभी सूचनाओं के प्रत्येक वर्ष अद्यतन एवं प्रकाशन को निर्धारित करता है।

19. यह कि धारा 4 की उपधारा 1(ग) में

publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public

"महत्वपूर्ण नितियों अथवा निर्णयों की घोषणाओं को जो जनता को प्रभावित करती है के सुसंगत सभी तथ्यों को प्रकाशित करेगा" का उल्लेख है जो निश्चित तौर पर नागरिकों को सभी महत्वपूर्ण नितियों से नियमित अवगत कराने हेतु स्पष्ट प्रक्रिया है।

20. यह कि, धारा–4 कि उपधारा 1(घ) में

provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons

"प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक अथवा न्यायीकल्प निर्णयों के लिए कारण उपलब्ध कराना" उल्लेख किया गया है। जो सूचना के अधिकार अधिनियम में कारण उपलब्ध कराने अथवा शासन से प्रश्न पूछने का अधिकार भी नागरिकों का प्रदान की गयी है जो उक्त कार्यव्यवस्था के अंतर्गत प्रभावित/पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का निराकरण एवं उन्हें न्याय दिलाने में बेहद सार्थक नियम है।

21. यह कि धारा 4 की उपधारा 2 में

It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information

"प्रत्येक लोक अधिकारी को उक्त धारा 4(1b) के अंतर्गत निरंतर इंटरनेट के माध्यम से अधिकाधिक सूचना स्वः प्रकटीकरण करने का उपाय करें ताकि जनता को वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का उपयोग ना करना पड़े" का उल्लेख है यह सबसे महत्वपूर्ण उपधारा है जो इन तथ्यों का आधार है कि यथासंभव सभी सूचना अविलंब इंटरनेट के माध्यम से प्रकट कर दी जाये ताकि अन्य कोई सूचना देना शेष ना रहे।

22. यह कि धारा 4 की उपधारा 3 में

For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public

"धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकटीकरण विस्तृत एवं ऐसी सुसंगत रिति व प्रारूप में प्रसारित करे जो जनता के लिए सरल पहुंच में हो" का उल्लेख है अर्थात लोक प्राधिकारी धारा 4(1) के अनुसार स्वःप्रकटीकरण सिर्फ नियमों के पालन करने के दिखावे के लिये संक्षिप्त व जटिल रूप में ना करें बल्कि वास्तविक विवरण सहित सहज समझने योग्य तथ्यों के साथ करें स्पष्ट निर्दिष्ट है।

23. यह कि धारा 4 की उपधारा 4 में

All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed

"सभी सामाग्री को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और प्रसारित करने की प्रभावी पद्धति जिससे सूचना स्थानीय क्षेत्रों में सरलता से पहुंच सके, साथ ही लोक सूचना अधिकारी यथासंभव इलेक्ट्रानिक रूप में जो सूचना उपलब्ध हो को निःशुल्क, लागत खर्च या मुद्रण/प्रिंट खर्च में देने का प्रयास करेगा" का उल्लेख है जो स्पष्ट करता है कि सूचना का इलेक्ट्रॉनिक संधारण एवं इंटरनेट सबसे प्रभावी, मितव्ययी माध्यम है अतः नियमों में इसे अधिक प्राथमिकता दी गयी है।

24. यह कि का. एवं प्र. वि. का. ज्ञा. सं. 1/34/2013–IR दिनांक 29.06.2015 में "DOPT द्वारा धारा–4 के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ सिफारिशें की थी जिसे समस्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसमें प्राधिकरण से संबंधित सभी ब्यौरे उसके वेबसाइट पर डाले जायें, RTI आवेदनों की संख्या में कमी लाने के लिए भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरणों से संबंधित सूचना तुरंत सार्वजनिक की जाये इत्यादि" का उल्लेख है। इस प्रकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें-जिसे स्वीकार किया जा चुका है इस तथ्य की प्रमाणिक पुष्टि करते हैं कि प्राधिकरण के सभी ब्यौरे एवं भर्ती–पदोन्नति–स्थानांतरण से संबंधित सभी सूचनायें नागरिकों के पहुंच हेतु स्वः प्रकटीकरण किया जाना न्यायोचित होगा।

25. यह कि का. एवं प्र. वि. का. ज्ञा. सं. 4/10/2011–IR दिनांक 18.05.2011 में "RTI अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिये कणिका (3) में सभी लोक प्राधिकरण जिनके पास वेबसाइट है अपनी वेबसाइटों पर RTI आवेदनों की मासिक प्राप्ति और निपटान के ब्यौरे डाले। ऐसे महिने की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर किया जायेगा, इसी अधिसूचना के कणिका (1) में कार्यालयों में RTI अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एक पृथक अध्याय खोला जाएगा। इस अध्याय में कार्रवाई के दौरान प्राप्त एवं निपटान किए गये RTI आवेदनों की संख्या का ब्यौरा दर्शाया जाएगा। जिसमें वे मामले भी शामिल होंगे जिसमें सूचना देने से मना कर दिया गया

था" का उल्लेख है जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि शासन सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी पालन और पारदर्शिता हेतु बहुत गंभीर है।

26. यह कि CIC की उद्घोषणा राजवीर सिंह बनाम MCD (CED) निर्णय संख्या CIC/SG/A/2009/001990/5042 में "उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर नियम बनाया है कि ऐसे लोगों जो निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होने की आकांक्षा रखते हैं को अपनी संपत्ति के ब्यौरे की घोषणा करनी होगी, यह मात्र तर्कसंगत है कि लोक सेवकों के परिसम्पत्ति के ब्यौरे प्रकट किये जाने योग्य माने जाये अतः धारा 8(1)ञ के अंतर्गत छूटो को ऐसे मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है" उल्लेखित है। उपरोक्त आदेश से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि लोक सेवकों के परिसम्पत्ति के ब्यौरे प्रकट करना भी नियमाधीन है जिसे निजता का हवाला देकर प्रदान नही किया जाता है।

27. यह कि धारा–3 में उल्लेख है कि

Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information

"इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन सभी नागरिकों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा" अतः ये अनुपालनीय है कि सूचना की मनाही केवल अधिनियम में दी गयी छूटों के आधार पर ही की जा सकती है और ऐसी मनाही का कोई अन्य आधार वैध नहीं होगा। जिस संबंध में धारा–8 की उपधारा 1(ञ) के स्पष्टीकरण में भी उल्लेख है "यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को जो सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को देने से इंकार नहीं किया जाएगा" जो धारा–4के सभी बाध्यकारी उपबंधों के पालन के साथ सभी उपलब्ध सूचनाओं को प्रकटीकरण करने का स्पष्ट आधार देते हैं।

28. यह कि धारा 8(1) ख में दिये नियम की

information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court

सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है। को मना किया जा सकता है, का उल्लेख है अश्विनी कुमार गोयल बनाम संयुक्त सचिव (गृह)के मामले में CIC के निर्णय सं. CIC/WB/A/2008/00838/1777 में जिस संबंध में आयोग ने आदेश दिया कि "मामले में न्यायाधीन होने के कारण RTI अधिनियम के

अंतर्गत सूचना की मनाही के लिए कारण के रूप में प्रयोग नही किया जा सकता है। तदानुसार संबंधित प्राधिकरण न्यायालयीन प्रक्रियाधीन मामलें पर भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।" इसी तरह धारा 22 में

The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act

"शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 और तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान हो जो सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के असंगत है की उपस्थिति की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।" का उल्लेखनीय रहना सूचना के अधिकार को बेहद शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है।

29. यह कि क्रमिक एवं प्रशिक्षण वि. का. ज्ञा. सं. 1/32/2013 दिनांक 28.11.2013 ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर संदर्शिका जारी की जिसमें लोक प्राधिकारणों के लिए सूचना का स्वतः प्रकटीकरण हेतु बिन्दु क्र. 2 में बेहतर रूप से स्पष्ट किया (उपरांक्त कणिका 18 के संबंध में) कि "लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना की निम्न श्रेणियों की घोषणा की जाए :– (i) अधिप्राप्ति से संबंधित सूचना, (ii) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), (iii) स्थानांतरण निति एवं स्थानांतरण आदेश (iv) RTI आदेश (v) C&AG व लोक लेखा समिति के पैरा (vi) सिटिजन चार्टर (vii) विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुमान (viii) प्रधानमंत्री/मंत्रीयों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी दौरे" उक्त पारदर्शिताओं के लिए प्राधिकरणों का स्वः प्रकटीकरण कर दिया जाना निश्चित ही नागरिकों को सूचना के अधिकार के उपयोग का कारण ही नहीं देगी।

30. उपरोक्त कणिका 29 के निर्दिष्ट अधिसूचना के बिन्दू 2(छ) में "प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/लोक प्राधिकरण को अपने क्रियापूर्ण प्रकटीकरण पैकेज की एक पर (तृतीय) पक्ष से प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा कराना चाहिए। ऐसी लेखा परीक्षा के प्रतिवर्ष अपनी निजि वेबसाइटों पर घोषणा के माध्यम से केन्द्रीय सूचना अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें पर पक्ष (तृतीय) लेखा परिक्षकों के नाम एवं प्रक्रिया का प्रकट किया जाना भी उल्लेखित है" उपरोक्त अधिसूचना ने स्पष्ट तौर पर प्राधिकरणों को अपनी सभी कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए बाध्यकारी स्वः प्रकटीकरण के दायरे में ला दिया है।

उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार अधिनियम से नागरिकों को सभी सूचनाएं जो उपलब्ध है दिया जाना स्वीकार करती है जिसे धारा–4 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों कों सभी प्राधिकारणों में अधिनियमन के 120 दिनों के भीतर प्रकट करना था जो आज 14 वर्षों में भी अंशतः नहीं हो पाया है अतः सर्वे अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के बाध्यकारी नियमों की अवमानना हेतु दण्डात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही निहित है। अतः आपसे सनम्र निवेदन है कि आप उक्त तथ्यों पर अविलंब प्रतिपालन कराने हेतु सभी अधिनस्थ प्राधिकरणों को आदेशित करें, ताकि मेरे द्वारा उक्त संबंध में राज्य सूचना अयोग के समक्ष प्रस्तुत की जा रही शिकायत (धारा–18 के अंतर्गत) प्रक्रिया का निष्पादन हो सके। चूंकि मेरे द्वारा उक्त शिकायत का एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यरत प्राधिकरणों को दक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है यदि उक्त संबंध में 1 माह में उचित प्रयास कर धारा–4 का प्रतिपालन कर लिया जाये तो यह शिकायत वापस लेना स्वीकार करता हूँ अन्यथा वाद खर्च सहित कदाचरण के लिए दण्ड हेतु अंतिम निष्पादन तक की लढ़ाई हेतु विवश रहूंगा।

साथ ही बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु आपसे यह भी आग्रह है कि स्वः प्रकटीकरण में मेडिकल ऑफिसर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की वर्तमान पदस्थापना कार्य के रोस्टर व समयावधि, यदि प्रायवेट प्रेक्टिस भी की जाती हो तो क्लीनिकल प्रेक्टिस करने की निगरानी तय की जा सके, साथ ही यथा-संभव उनकी संवर्ग सूची, ग्रेडमान, पदक्रम, विशेषज्ञता, रिटायरमेंट की संबंधित जानकारी भी उल्लेखित कराई जाये, राज्य स्तर पर उक्त व्यवस्था के कम्प्यूटरीकृत संधारण हेतु विशिष्ट प्रारूप निर्धारित किया जाये ताकि संधारण में सभी विभागों में एकरूपता स्थापित हो सके। इसी तरह RSBY/MSBY अथवा विभिन्न योजनांन्तर्गत लाभान्वित हुये मरीजों, संबंधित मामले में भुगतान किये रकम व अस्पताल के सभी ब्यौरे प्रकटीकृत किया जाये (जिसमें विशेष संक्रमण कारणों की गोपनीयता अति आवश्यक हो उसमें मरीज के नाम पंजीयन संख्या आधार पर प्रकट किया जाये) राज्य के सभी क्लीनिकल स्थापना जिन्होंने नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आवेदन किया था जिन्हें पंजीयन दिया गया एवं जिन्हें नहीं दिया गया के ब्यौरे प्रकट किये जाये ताकि गैर पंजीकृत एवं पंजीयन के लिए आवेदन ना देने वाले संस्थानों की जानकारी नागरिकों को रहे, यथासंभव उन अस्पतालों की बेड व विशेषज्ञता क्षमता, स्तर, सुविधाओं के संबंधित ब्यौरे भी प्रकट किया जाये ताकि बेहतर व प्रतिस्पर्धी कार्य कर रहे संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना संभव हो सके। जिससे

अधिकांश व्यवस्थातर्गत सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में विभाग में उपलब्ध है के बावजूद कोई संस्थान बेहतर सुधार हेतु प्रकटीकरण करने को तत्पर नहीं है।

उपरोक्तानुसार संबंधित विभागों में इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटरीकृत स्वरूप में उपलबध सभी सूचना को सहज व समझने योग्य प्रारूप में प्रकटीकरण किया जाये ताकि पहले से कही अधिक तेजी से स्वस्थ्य क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। जो निश्चित ही अक्षरतः पालन किये जाने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था देश के अग्रणी पंक्ति में लाया जाना निश्चित ही संभव है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप अविलंब उक्त नियमों के तहत पादर्शिता की व्यवस्था लाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी।

शिकायतकर्ता

दिनांक 25/04/2019

देवेन्द्र अग्रवाल,
207, एच.आर.टावर, अग्रसेन नगर,
रायपुरा चौक, रायपुर (छ.ग.)– 492013
मो. 8770867724

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी निम्नवत प्राधिकरणों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत :

(01) आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, (छ.ग.)
(02) संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, (छ.ग.)
(03) संचालक, संचनालय चिकित्सा शिक्षा डी.के. एस. परिसर, रायपुर (छ.ग.)
(04) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन इन्द्रावती भवन, अटल नगर, (छ.ग.)
(05) परियोजना संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, रायपुर (छ.ग.)
(06) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य नोडल एजेंसी (RSBY एवं MSBY), रायपुर
(07) रजिस्टार, छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान परिषद, कंकालीपारा, रायपुर (छ.ग.)
(08) रजिस्टार, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल परिषद, कंकालीपारा, रायपुर (छ.ग.)
(09) औषधि निरिक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन इन्द्रावती भवन, दुर्ग (छ.ग.)
(10) मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी कार्यालय (सभी 27 जिले छत्तीसगढ़)